परिशिष्ट '36' [26/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 858]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/9-1/96/3/एक भोपाल, दिनांक 22-1-96

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—हायर सेकेन्डी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा-व्यावसायिक पाठ्यक्रम में व्होकेशनल कोर्स के स्टेनों टायपिस्ट को मान्यता प्रदान करने के संबंध में.

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा हायर सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, उसमें हिन्दी अथवा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा हेतु 100 शब्द प्रति मिनिट की गति निर्धारित है तथा उसमें परीक्षार्थी के उत्तीर्ण होने पर उसे नियुक्ति हेतु म. प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से उत्तीर्ण आवेदकों के समान मान्यताप्राप्त नहीं है.

2. शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में व्होकेशनल कोर्स से 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से आयोजित हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप जारी किये गये प्रमाण-पत्र को म. प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के समकक्ष मान्यता दी जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(एस. सी. पण्डया)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक-सी/9-1/95/3/एक भोपाल, दिनांक 22-1-1996

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र., भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर.
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र., भोपाल.
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.
   राज्यपाल के सचिव, म. प्र., राजभवन, भोपाल.
3. माननीय मुख्यमंत्री जी/उप मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र.

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग क्र.-3

4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र., भोपाल.
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र., भोपाल.
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र., भोपाल.
6. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
8. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.
9. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, पुस्तकालय मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
10. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र., भोपाल.
11. शासन के समस्त मान्यताप्राप्त अधिकारी/कर्मचारी संघों की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट - 'ब'

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक सी 3–13/2015/3/1 भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर
समस्त संभागाध्यक्ष
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय :– हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के समान केन्द्रीय माध्यमिक से उत्तीर्ण परीक्षा– व्यावसायिक पाठ्क्रम में व्होकेशनल कोर्स के स्टेनो टायपिंग को मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

सन्दर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 9–1/96/3/एक, दिनांक 22 जनवरी, 1996

संदर्भित परिपत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा व्यावसायिक पाठयक्रम में व्होकेशनल कोर्स से 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से आयोजित हिन्दी/अग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप जारी किये गये प्रमाण–पत्र को मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के समक्ष मान्यता दीगई है।

2/ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि विभाग/कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण उपरोक्त परीक्षा को मान्य नहीं किया जा रहा है।

3/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के परिपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1996 में आंशिक संशोधन करते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के साथ–साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र को भी मान्यता दी जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सी0बी0पड़वार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-8